कानपुर नगर

सेवा में,

समस्त प्रबन्धक / प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक,
वित्तविहीन हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट कालेज,
कानपुर नगर

पत्रांकः वि0वि0मा0 / / 2016–17 दिनांक 05/10/2016

विषयः– माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्तविहीन विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन मानदेय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 1157/15–8–2016–3023/2012 शिक्षा (8) अनुभाग लखनऊ दिनांक 12.09.2016 के कम में शिक्षा निदेशक (मा0), उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांकः शिविर/12870–13120/ 2016–17 दिनांक 20.09.2016 द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्तविहीन विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन मानदेय का भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं। उक्त के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 12.09.2016 के अनुपालन में निम्नवत् विवरणानुसार सूचनाये उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

1 उक्त विशेष प्रोत्साहन मानदेय हेतु परीक्षा वर्ष 2012 तक सम्मिलित यू0पी0 बोर्ड के समस्त वित्तविहीन मान्यता प्राप्त हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट एवं हाईस्कूल सवित्त किन्तु इण्टरमीडिएट वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षक मान्य होंगे एवं विशेष प्रोत्साहन मानदेय हेतु वित्तविहीन हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट विद्यालयों के विभिन्न संवर्गों में अंशकालिक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक का निर्धारण शासनादेश दिनांक 12.09.2016 द्वारा निम्नवत् किया गया हैः–

क0 सं0	वित्तविहीन विद्यालय	शिक्षक संवर्ग		
		प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य	स0अ0	प्रवक्ता
01	02	03	04	05
01	हाईस्कूल	01	7	–
02	हाईस्कूल इण्टरमीडिएट	comman		
03	हाईस्कूल		7	
04	इण्टरमीडिएट,A–मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि			12
	B– मानविकी,विज्ञान,वाणिज्य			11
	C– मानविकी,विज्ञान,कृषि			11
	D– विज्ञान,वाणिज्य,कृषि			11
	E– मानविकी,विज्ञान			09
	F– विज्ञान,वाणिज्य			07
	G– मानविकी,कृषि			07
	H– मानविकी वाणिज्य			07

4/10

Scanned by CamScanner

I– विज्ञान,कृषि				07
J– मानविकी				06
K– विज्ञान				06
L– वाणिज्य				05
M–कृषि				05

2 शासनादेशानुसार अशासकीय असहायिक माध्यमिक विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षको को विशेष प्रोत्साहन मानदेय के भुगतान हेतु पात्रता/अर्हता निम्नवत् होगी।

(क) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम– 1921 के अध्याय–2 के विनियम–1 के परिशिष्ट–'क'' में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताएं रखता हो।

(ख) प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त।

(ग) संस्था में अद्यावधि कार्यरत्।

4 वित्तविहीन विद्यालयो के अंशकालिक शिक्षको को विशेष प्रोत्साहन मानदेय भुगतान की प्रक्रिया निम्नवत् होगी–

जनपद स्तर पर अंशकालिक शिक्षकों की पात्रता के निर्धारण हेतु संस्था के प्रबन्धक एवं अंशकालिक प्रधानाचार्य/अंशकालिक प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से निम्नवत् शपथ–पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत करेगें। प्राप्त सूचना को शिक्षा निदेशालय को प्रेषित करते हुए भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। उक्त विशेष प्रोत्साहन मानदेय की धनराशि का भुगतान 6–6 माह(माह सितम्बर एवं मार्च)मे किया जायेगा। शासनादेश दिनांक 12.09.2016 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त विशेष प्रोत्साहन मानदेय शासनादेश दिनांक 10.08.2001 में उल्लिखित प्राविधानानुसार संस्था प्रबन्धक तन्त्र द्वारा भुगतान किए जा रहे परिलब्धियों के अतिरिक्त(Over and above) होगा एवं इसे भविष्य के लिए दृष्टान्त नही माना जायेगा।

भवदीय

(कोमल यादव)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
कानपुर नगर।

[...]0– वि0वि0मा0/ 6798-6880 /2016–17 तद्दिनांक

[...]लिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

शिक्षा निदेशक(मा0)18 पार्क रोड लखनऊ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक,कानपुर मण्डल कानपुर।

4/10/16

जिला विद्यालय निरीक्षक,
कानपुर नगर।

Scanned by CamScanner

शपथ–पत्र

समक्ष जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर नगर

मै प्रबन्धक(नाम,पिता का नाम एवं संस्था का पूरा पता)एवं अंशकालिक प्रधानाचार्य /अशंकालिक प्रधान अध्यापक(नाम,पिता का नाम एवं संस्था का पूरा पता) शपथ पूर्वक कहता हूँ कि शपथ–पत्र में जिन अंशकालिक शिक्षकों के नाम मानदेय हेतु प्रेषित किये जा रहे हे। तथा उनका विवरण निम्नवत् है–

फोटो प्रबन्धक		अंशकालिक शिक्षक (हाईस्कूल)	पूरा पता एवं खाता संख्या
	1	श्री/श्रीमती/सुश्री	
	2	"	
	3	"	

फोटो अंशकालिक प्रधानाचार्य अशंकालिक प्रधानध्यापक		अंशकालिक शिक्षक (इण्टरमीडिएट)	पूरा पता एवं खाता संख्या
	1	श्री/श्रीमती/सुश्री	
	2	"	
	3	"	

वे वास्तव में संस्था में कार्यरत् है,पूर्व से कार्यरत किसी अंशकालिक शिक्षक के नाम में कोई संशोधन/परिवर्तन नही किया गया है एवं उ0प्र0इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 (यथा संशोधित)के अध्याय–दो के विनियम–1 के परिशिष्ट ''क''के अनुसार न्यूनतम योग्यता धारी है।

हम दोनो यह शपथ पूर्वक कहते है कि शपथ–पत्र में वार्णित कोई तथ्य असत्य/वास्तविक तथ्यों के विपरीत पाया जाय तो मेरे विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नही होगी।

अंशकालिक प्रधान अध्यापक/अंशकालिक प्रधानाचार्य ....

प्रबन्धक ....

4/10

Scanned by CamScanner